कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023
फोन नं – 0788-2350125, फैक्स नं – 0788-4040118
ई-मेल : nigam_bhilai@yahoo.co.in

क्र/स्टे.आयु./2024/ल्प्प-187/3392 भिलाई, दिनांक 02/12/24

//आदेश//

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में विभिन्न मद अंतर्गत निर्माण/विकास कार्य संपादित कराये जा रहे है किन्तु यह देखा जा रहा है कि, प्रस्तावित कार्य स्थल का जियो टैग फोटोग्राफ्स संलग्न नहीं किया जा रहा है। अतएव् निर्माण कार्य में प्रस्तावित स्थल पर कराने के पूर्व संबंधित जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता द्वारा निम्नानुसार अभिलेख संलग्न किया जाना आवश्यक है :-

1. निर्माण/विकास कार्य से संबंधित नस्तियों पर कार्य का चेकलिस्ट प्रथम पृष्ठ पर रखा जाये जिसमें कार्य का संपूर्ण विवरण लिखा जाये।
2. प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
3. स्थल का नजरी नक्शा हस्ताक्षरयुक्त अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये।
4. प्रांक्कलन प्रस्तुत करने समय प्रस्तावित स्थल का मौके पर स्थल उपलब्ध है, प्रमाणित किया जाना चाहिए एवं जियो टैग दिनांक के साथ फोटोग्राफ्स संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निर्माण कार्य के प्रगति का अलग-अलग चरणों का कार्य प्रारंभ करने के पहले, कार्य प्रारंभ करने के बाद प्रगतिरत् कार्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का जियो टैग दिनांक के साथ अंकित करते हुये फोटोग्राफ्स लगाना अनिवार्य है।
6. समस्त फोटोग्राफ्स पर कार्य स्थल का नाम एवं संबंधित अभियंताओं के हस्ताक्षर होना चाहिये।
7. निर्माण स्थल पर कार्य का विवरण दर्शाते हुये, एजेंसी द्वारा बोर्ड में प्रदर्शित किया जावें। जिसमें एजेंसी का नाम, कार्य का विवरण लागत, समय-सीमा इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख है।
8. निर्माण कार्य की निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी उप अभियंता,सहायक अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता एवं जोन आयुक्त का माप पुस्तिका में प्रमाणीकरण आवश्यक रुप से किया जावे।

साथ ही पंप हाउस का संचालन/संधारण, हैण्ड पंप का संधारण, पाईप लाईन लिकेज का संधारण एवं मुक्तिधाम का संचालन एवं अन्य एजेंसी के माध्यम से प्लेसमेंट श्रमिक रखकर संचालन संबंधी कार्य की नस्तियाँ कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि समाप्त होने के बाद नस्ती समयवृद्धि के लिये प्रस्तुत किये जा रहे है, जिसमें अनिवार्य प्रवृत्ति के कार्य होने की वजह से समय की बाध्यता होती है। इसलिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में होने वाले कार्यो का पूर्व में ही आकलन कर 03 माह पूर्व निविदा की समस्त प्रकियाऐं पूर्ण कर निविदा समाप्ति के पूर्व आगामी निविदा की कार्यवाही कर लेंवे जिससे बारम्बार समयवृद्धि की प्रवृत्ति से बचा जा सकें एवं कार्य में पारदर्शिता परिलक्षित हो।

उपरोक्तानुसार उचित समय-सीमा में निविदा कार्यवाही प्रारंभ नहीं करनें तथा अनुचित रूप से विलंब कारित कर पूर्व निविदा की समय-सीमा में वृद्धि हेतु नस्ती/प्रस्ताव प्रस्तुत होनें पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही/उत्तारदायित्व निर्धारण किया जावेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः....(2)...

Scanned with CamScanner

पृ.क्र./स्टे.आयु./2024/स्थ-187/3393 भिलाई, दिनांक 02/12/24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त /कार्यपालन अभियंता, जोन--1,2,3,4 एवं 5/जलकार्य/स्वास्थ्य/कम्प्युटर /विद्युत/भवन संधारण/ स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित श्री/विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner